



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127641

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19363/2026

नौशाद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अली हसन, इस्तियाक अली

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मामला अपराध संख्या 183/2026, धारा 8/20/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत, थाना- कुतुबशेर, जिला- सहारनपुर में जमानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। सह-आरोपी साजिद ने पुलिस के समक्ष अपने इकबालिया बयान में आवेदक का नाम लिया था। सह-आरोपी के इकबालिया बयान को आवेदक के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता। आवेदक के विरुद्ध कोई भी मान्य साक्ष्य नहीं है। आवेदक का आपराधिक इतिहास शपथपत्र के पैरा संख्या 2 में अच्छी तरह से समझाया गया है। आवेदक के विद्वान

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 07.05.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि आवेदक के अपराध में संलिप्त होने के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, आपराधिक पृष्ठभूमि के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदक **नौशाद**, जो उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को निचली अदालत के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं./ 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय ट्रायल जज को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

एपी पांडे

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।